रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73 REGISTERED No. D. (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 29, 1980/अग्रहायण 8, 1902
No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 29, 1980/AGRAHAYANA 8, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1980

सा० का० नि० 1219.—भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 443(ई) तारीख 18 अक्तूबर, 1972 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 594 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कम्पनी विधि प्रशासन विभाग) की अधिसूचना सं० सा० आ० नि० 3216 तारीख 4 अक्तूबर, 1957 की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिसूचना कहा गया है) में आंशिक उपान्तर करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि मेसर्स ग्लासगो (आस्ट्रेलेशिया) पी० टी० वाई० लिमिटेड, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'कम्पनी' कहा गया है) के मामले में, जो एक विदेशी कम्पनी है, उक्त धारा 594 की उपधारा (1) के खंड (क) की अपेक्षाएं जैसी कि वे किसी विदेशी कम्पनी के अपने लागू होने के संबंध में अधिसूचना द्वारा उपान्तरित की गई हैं, निम्नलिखित अपवादों तथा उपान्तरों के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगी, अर्थात् :—

यदि 31-12-79 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाबत कम्पनी भारत में समुचित कम्पनी रजिस्ट्रार को, निम्नलिखित की तीन प्रतियां प्रस्तुत करे तो उक्त धारा 594 की उप धारा (1) के खंड (क) के उपबन्धों का पर्याप्त अनुपालन हुआ समझा जाएगा :—

(1) अधिनियम की धारा 591 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अन्तर्गत भारत में आदेशिका तामील के लिए प्राधिकृत व्यक्ति (2) भारत के कार्यप्राप्त लेखापाल द्वारा प्रमाणित इसकी भारतीय शाखा की प्राप्तियों तथा अदायगियों का विवरण-पत्र।

(2) ऊपर उप पैरा (1) में वर्णित ढंग से प्रमाणित भारत में कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा देयताओं का विवरण-पत्र।

(3) ऊपर उप-पैरा (1) में वर्णित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण-पत्र कि कम्पनी ने 31-12-79 के वर्ष की समाप्ति के मध्य भारत में कोई व्यापार नहीं किया, तथा

(4) इसके मूल देश में प्रस्तुत की गई वित्त लेखों की प्रति।

कम्पनी विधि बोर्ड के आदेश से,

[फा० सं० 14/7/80-सी०एल०6]

बी० प्रसाद, अवर सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1980

शुद्धि-पत्र

सा॰ का॰ नि॰ 1229 :—भारत सरकार, इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय (खान विभाग) की दिनांक 24 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 529, जो भारत के राजपत्र के भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 10 मई, 1980 को पृष्ठ संख्या 1059—1060 पर प्रकाशित हुई है, पृष्ठ संख्या 1060 पर—

"कालम 7 के नीचे की प्रविष्टि में "25" के स्थान पर "35" पढ़ा जाए।"

[फा॰ सं॰ ए॰—12018/6/79-खान—2]
एच॰ एल॰ अत्री, अवर सचिव

MINISTRY OF STEEL & MINES

(Department of Mines)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 10th November, 1980

G.S.R. 1229.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Steel, Mines and Coal (Department of Mines) number G.S.R. 529, dated the 24th April, 1980, published at pages 1059-1060 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 10th May, 1980, at page 1060—

"in the entry below column 7, for "25" read "35".

[F. No. A-12018/6/79-M2]
H. L. ATTRI, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 1980

शुद्धि-पत्र

सा॰ का॰ नि॰ 1230 :—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 5 मई, 1979 में प्रकाशित भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की हिन्दी की अधिसूचना सं॰ सा॰ का॰ नि॰ 649, तारीख 21 अप्रैल, 1979 में,

(i) पृष्ठ 1192 पर —

अधीक्षक खनिज अर्थ-शास्त्री के पद से संबंधित क्रम सं॰ 13 के सामने, स्तम्भ 4 के नीचे "1500-50-1800-100-2000 रु॰" के स्थान पर "1500-60-1800-100-2000 रु॰" पढ़ें,

(ii) पृष्ठ 1200 पर—

सहायक प्रमुख प्रसाधन अधिकारी के पद से संबंधित क्रम सं॰ 36 के सामने, स्तम्भ 4 के नीचे "700-40-900-40-1100-50-1300 रु॰" के स्थान पर "700-40-900-द॰ रो॰-40-1100-50-1300 रु॰" पढ़ें।

[फा॰ सं॰ ए॰ 12018/8/79-एम-VI]
प्रसन्न चन्द्र अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 1980

सा॰ का॰ नि॰ 1231 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा आकाशवाणी समूह "क" भर्ती नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी समूह "क" भर्ती (संशोधन) नियम, 1980 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी समूह "क" भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में केन्द्र निदेशक (सामान्य ग्रेड) के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सम्मुख वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात :-

आकाशवाणी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में केन्द्र निदेशक (सामान्य ग्रेड) के पद के लिए भर्ती नियम।

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधे भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	क्या के॰सि॰ से॰ (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है	सीधे भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं
1	2	3	4	5	6	7	7क	8
1	केन्द्र निदेशक (सामान्य ग्रेड)	83	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित	1100-50-1600 रुपए	चयन	45 वर्ष से अधिक नहीं। (सरकारी कर्मचारी के लिए	नहीं।	अनिवार्य (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की कम से

1	2	3	4	5	6	7	7क	8
2 3 4 5 6 7	कार्यक्रम निदेशक केन्द्र निदेशक (वाणिज्यिक) उप निदेशक (बिक्री) उप निदेशक (विदेश सेवा) योजना अधिकारी (कार्यक्रम) उप निदेशक (कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम)					शिथिल की जा सकती हैं)। टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारण की निर्णायक तिथि भारत में रहने वाले उम्मीदवारों (अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों को छोड़कर) से आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी)।		कम द्वितीय श्रेणी की डिग्री या समतुल्य। (2) पर्यवेक्षण रूप में निम्नलिखित का 3 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव सहित 7 वर्ष का अनुभव-- (क) वरिष्ठ अथवा पर्यवेक्षण रूप में प्रसारण (टेलीविजन के लिए कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनको तैयार करने का; या (ख) किसी सुस्थापित समाचारपत्र/पुस्तक प्रकाशन फर्म या कम्पनी में पत्रकारिता और सृजनात्मक लेखन का; या (ग) संगीत, नाटक, इत्यादि से संबंधित कार्य का; या (घ) विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों में शिक्षा विस्तार कार्य का; या (ङ) जन माध्यम अनुसंधान और जन माध्यम अभियानों का। टिप्पणी 1 : अन्यथा सुअर्हक उम्मीदवारों के मामले में अर्हताएं आयोग के विवेक से शिथिल की जा सकेंगी। टिप्पणी 2 : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में अर्हता/अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक से शिथिल की जा सकेगी/सकेंगी यदि चयन की अवस्था पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों के उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7	7(क)	8
								वांछनीय : (1) हिन्दी और अधिमानतः किसी एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान। (2) सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन करने का अनुभव। (3) उम्मीदवारों के अपने विशिष्ट क्षेत्र में सृजनात्मक निर्माण के प्रकाशित कार्य का प्रमाण। (4) नैमित्तिक रेडियो कार्यक्रमों और प्रसारणों में भाग लेना।

क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षणिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होंगी?	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की विधि-सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न विधियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है
9	10	11	12	13	14
नहीं	2 वर्ष	(1) 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा। इसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (2) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति : वे सहायक केन्द्र निदेशक जिनकी ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद ग्रेड में 3 वर्ष की सेवा हो। टिप्पणी : जब किसी अधिकारी की पदोन्नति के बारे में विचार किया जाता है तो ग्रेड में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्तियों के बारे में भी विचार किया जाएगा चाहे उन्होंने ग्रेड में निर्धारित सेवा अवधि पूरी न भी की हो बशर्ते कि उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	1. ग्रुप "क" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष 2. सचिव/संयुक्त सचिव (बी)--सदस्य 3. आकाशवाणी महानिदेशक--सदस्य 4. दूरदर्शन महानिदेशक --सदस्य 2. ग्रुप "क" विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) 1. सचिव/संयुक्त सचिव (बी), सूचना और प्रसारण मंत्रालय —अध्यक्ष 2. आकाशवाणी महानिदेशक—सदस्य 3. दूरदर्शन महानिदेशक —सदस्य टिप्पणी : स्थायीकरण से संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाहियां संघ लोक सेवा आयोग को अनुमोदन के लिए भेजी जानी होंगी, तथापि,	पदोन्नति, सीधी भर्ती करने और इन नियमों के किसी भी उपबंध में संशोधन/छूट देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

9	10	11	12	13	14
				यदि उनको संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता तो आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की पुनः बैठक करानी होगी।	

[फाइल संख्या 12018(5)/76-बी (ए)]

आर० डी० जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 1st November, 1980

G.S.R. 1231.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio Group 'A' Recruitment Rules 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio Group 'A' Recruitment (Amendment) Rules 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio Group 'A' Recruitment Rules, 1963 against serial No. 1 relating to the post of Station Director (Ordinary Grade), for the existing entries the following entries shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

Revised recruitment rules for the Post of Station Director (Ordinary Grade) in the all India Radio.

Sl.	Name of	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rules 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	7(a)	8
1.	(i) Station Director (Ordinary Grade). (ii) Director of Programmes (iii) Station Director (Commercial) (iv) Deputy Director (Sales) (v) Deputy Director (External Services). (vi) Planning Officer (Programme) (vii) Deputy Director (Staff Training Programme)	83	General Central Service Group 'A' Gazetted	Rs. 1100-50-1600.	Selection	Not exceeding 45 years (Relaxable for Government Servants) Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep)	No	Essential : (i) At least 2nd Class Degree of a recognised University or equivalent. (ii) 7 years' experience including 3 years' administrative experience in a supervisory capacity, of— (a) Planning and production of programme for broadcasting/television in a senior or supervisory capacity : or (b) Journalism and creative writing in any established newspaper /book publishing firm or company ; or (c) work connected with music, drama etc ; or (d) education extension work in different developmental fields ; or (e) mass media research and mass media campaigns. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.

8
Note II : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Knowledge of Hindi and preferably, one other Indian language ; (ii) Experience of organising cultural activities ; (iii) Evidence of published work of creative production in the candidates own field of specialisation. (iv) Particiaption in casual radio programme and broadcasts.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13	14
No.	2 years	(i) 75% by promotion failing which by direct recruitment. (ii) 25% by direct recruitment.	Promotion Assistant Station Directors with 3 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note : Where an officer is consisdered for promotion all persons senior to him in the grade shall also be considered notwithstanding that they may not have rendered the prescribed length of service in the grade, provided that they should have successfully completed their period of probation.	1. Group 'A' DPC (For considering promotion). 1. Chairman/Member, UPSC —Chairman; 2. Secretary/Joint Secretary (Broadcasting)—Member. 3. Director General, All India Radio —Member 4. Dir. Genl. Doordarshan—Member. 2. Group 'A' DPC (For considering confirmation); 1. Secretary/Jt. Secy. (B), Ministry of I & B—Chairman; 2. Dir. Genl. All India Radio—Member 3. Dir. Genl. Doordarshan—Member. Note : The proceedings of the DPC	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making promotion direct recruitment and amending/relaxing any of the provisions of these rules.

13
relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.

[No. 12018/5/76—B(A)]
R.D. JOSHI, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1980

सा० का० नि० 1232.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम अधिकारी (केन्द्रीय पूल) भर्ती और सेवा की शर्तें नियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम अधिकारी (केन्द्रीय पूल) भर्ती और सेवा की शर्तें (संशोधन) नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. श्रम अधिकारी (केन्द्रीय पूल) भर्ती और सेवा की शर्तें नियम, 1951 में, नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"8(1) छुट्टी यात्राभत्ता, चिकित्सीय परिचर्या, पेंशन, भविष्य निधि :—

श्रम अधिकारी, छुट्टी, यात्राभत्ता, चिकित्सीय परिचर्या, पेंशन, भविष्य निधि और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों की बाबत, जिनके लिए इन नियमों में उपबन्ध नहीं किया गया है, उन्हीं नियमों से शासित होंगे जो केन्द्रीय सरकार के समूह क अधिकारियों को लागू होते हैं।

(2) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय पूल के श्रम अधिकारियों को अनुज्ञेय होगा।

[सं० ए-12018/3/78-पी०एल०ओ०]
एस० एस० सहस्रनामन, उप-सचिव

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 13th November, 1980

G.S.R. 1232.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Labour Officers (Central Pool) Recruitment and Conditions of Service Rules, 1951, namely :—

1. (1) These rules may be called the Labour Officers (Central Pool) Recruitment and Conditions of Service (Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Labour Officers (Central Pool) Recruitment and Conditions of Service Rules, 1951, for rule 8, the following rule shall be substituted namely :—

"8. (1) Leave, Travelling Allowance, Medical Attendance, Pension, Provident Fund :—

The Labour Officers shall be governed generally in respect of leave, travelling allowance, medical attendance, pension, provident fund and other conditions of service not provided for in these rules by the same rules as are applicable to Group A Officers of the Central Government.

(2) The benefit of added years of service under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 will be admissible to the Labour Officers of the Central Pool".

[No. A-12018/3/78-PLO]
S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

धनबाद, 10 नवम्बर, 1980

शुद्धि-पत्र

सा० का० नि० 1233.—भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3 उप-खण्ड (i) दिनांक 3 नवम्बर, 1979 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 16(38)79-सामान्य/14960, दिनांक 18 अक्तूबर, 1979 के संदर्भ में क्रम सं० 4 एवं 15 को निम्नांकित पढ़ा जाए।

4. द्रवचालित छत अवलम्ब।
(हाइड्रालिक रूफ सपोर्टस)

15. अन्तर्दहन इंजन (केवल भूमिगत प्रयोग हेतु)
(इन्टरनल कम्बश्चन इंजन फार अण्डर ग्राउन्ड यूज ओनली)।

[संख्या : जैनरल/14556]
हस्ताक्षर अस्पष्ट
मुख्य खान निरीक्षक,
(पुनः नामोद्दिष्ट खान सुरक्षा महा निदेशक)

(Directorate-General of Mines Safety)

Dhanbad, the 10th November, 1980

"CORRIGENDUM"

G.S.R. 1233.—Reference to Notification no. 16(38)/79-Genl/14960 dated 18-10-79 published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i) dated 3-11-79.

Item Nos. 4 and 15 of the said Notification should be read as follows :—

4. Hydraulic roof supports.
15. Internal Combustion Engine
(For Underground use only).

[No. Genl./14556]
Sd/-
Illegible
Chief Inspector of Mines.
(Designated as Director Genral of Mines Safety)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980